रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122023-250472
CG-DL-E-07122023-250472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2023/अग्रहायण 15, 1945
No. 817] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2023/AGRAHAYANA 15, 1945

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसंबर, 2023

मिसिल संख्या सचिव/एन.सी.आई.एस.एम./विनियम/2023-1— भारतीय चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 55 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (विशेषज्ञों और वृत्तिकों की नियुक्ति प्रक्रिया) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) अधिनियम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) अभिप्रेत है;

(ख) विशेषज्ञ या वृत्तिक का अर्थ भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे अष्टांग आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा या सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, प्रत्यायन, रोगी वकालत, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, लेखा या कानून में विशेष ज्ञान रखने वाला अखंडता और उत्कृष्ट क्षमता वाला व्यक्ति है;

(ग) सचिव से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सचिव अभिप्रेत है।

(2) यहां प्रयुक्त और इन विनियमों में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं।

3. **विशेषज्ञों और वृत्तिकों की नियुक्ति** – (1) आयोग अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग और उसके स्वायत्त बोर्डों की सहायता के लिए इन विनियमों के विनियम 2 के उप विनियम (1) के खंड (बी) के तहत परिभाषित क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियुक्त कर सकता है।

(2) सभी स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और आयोग के सचिव समय-समय पर विशेषज्ञों और वृत्तिकों की आवश्यकता का आकलन करेंगे और सभापति के माध्यम से आयोग को उचित औचित्य और अनुमानित व्यय के साथ एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

(3) आयोग प्रस्तावों पर चर्चा करेगा और उनका अनुमोदन करेगा, जैसा कि उचित समझा जाए।

(4) आयोग उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्तावित विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या को कम या बढ़ा सकता है।

4. **विशेषज्ञों और वृत्तिकों का कार्य-** आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ और वृत्तिक आयोग के सचिव द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में उल्लिखित कार्यों या आयोग द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि आवश्यक हो।

5. **विशेषज्ञों और वृत्तिकों की योग्यता और अनुभव**– (1) विशेषज्ञों और वृत्तिकों को उनकी योग्यता और विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्रों में अनुभव और इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट उनके वृत्ति में प्रतिष्ठा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

6. **विशेषज्ञों और वृत्तिकों की नियुक्ति की अवधि**- विशेषज्ञों और वृत्तिकों की नियुक्ति की अवधि निम्नलिखित होगी: -

(क) प्रशासनिक प्रकृति के कार्यों के लिए, नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 06 महीने से अधिक नहीं होगी जिसे प्रत्येक 06 महीने में 02 वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति में शैक्षिक तकनीकी अनुसंधान और विकास के लिए, नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 02 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे प्रत्येक 06 महीने में अधिकतम 04 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों और वृत्तिकों के लिए, नियुक्ति की अवधि 03 वर्ष होगी। बशर्ते कि पूर्वगामी खंडों में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी विशेषज्ञ और वृत्तिक का कार्यकाल आयोग द्वारा बढ़ाया जाएगा।

7. विशेषज्ञों और वृत्तिकों को देय पारिश्रमिक - विशेषज्ञों और वृत्तिकों को देय पारिश्रमिक ऐसी दरों पर जो आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित और तय की जा सकती हैं: तथापि, आयोग, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, आयोग या स्वायत्त बोर्डों के हित में, जैसा भी मामला हो, असाधारण मामलों में विशेषज्ञों और वृत्तिकों को उचित औचित्य के साथ उच्च पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए सहमत हो सकता है।

8. प्रदर्शन का मूल्यांकन- इन विनियमों के अंतर्गत लगे प्रत्येक विशेषज्ञ और वृत्तिकों के प्रदर्शन की समय-समय पर ऐसे अंतराल पर समीक्षा की जाएगी, जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

9. विशेषज्ञों और वृत्तिकों के चयन की प्रकिया- (1) विशेषज्ञों और वृत्तिकों की आवश्यकता के लिए एक विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और इसे उम्मीदवारों की इष्टतम भागीदारी के लिए व्यापक प्रचार दिया जाएगा।

(2) सचिव, इन विनियमों के अनुसार उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों की जांच करेगा और पात्र उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और आयोग को उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) सचिव चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, अर्थात् कौशल परीक्षण, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए तिथि और स्थान को शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र उम्मीदवारों को पहले से ही सूचित करेगा।

(4) आयोग विशेषज्ञों और वृत्तिकों के मूल्यांकन और चयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक चयन बोर्ड का भी गठन करेगा।

(5) चयन बोर्ड की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए सचिव द्वारा आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

(6) उप-विनियम (5) के अंतर्गत आयोग द्वारा विशेषज्ञों और वृत्तिकों की नियुक्ति के अनुमोदन पर, सचिव प्रत्येक अभ्यर्थी को लिखित रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव पत्र द्वारा सूचित करेगा, जिसमें नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा: हालांकि, आयोग किसी भी अभ्यर्थी के अनुरोध पर असाधारण मामलों में 15 दिनों की अवधि में छूट दे सकता है, इसके कारणों को विधिवत दर्ज कर सकता है।

(7) चयनित अभ्यर्थी से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, सचिव प्रत्येक अभ्यर्थी को नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 दिन का समय देते हुए नियुक्ति पत्र जारी करेगा: बशर्ते कि सचिव नियुक्त होने के समय को बढ़ाने पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि अनुरोधित विस्तार चयनित उम्मीदवार के नियंत्रण के बाहर है।

(8) सचिव नियुक्त हुए विशेषज्ञों और वृत्तिकों की एक सूची तैयार करेगा और उसे आयोग की अगली बैठक में आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

10. **विशेषज्ञों और वृत्तिकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें-** (1) अपेक्षित अनुभव, योग्यता, आयु और इसी प्रकार के नियम और शर्तें, इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट होंगी।

(2) विशेषज्ञ और वृत्तिक, नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर, सचिव एक वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें गोपनीयता बनाए रखने और उनके द्वारा रखे गए सभी उपकरणों, अभिलेख और सूचना को किसी भी रूप में सचिव को उनके त्यागपत्र या नियुक्ति की समाप्ति पर सौंपने की प्रतिबद्धता होगी।

(3) बिना किसी पूर्वाग्रह के और आयोग के पास उपलब्ध कानूनी उपायों के अतिरिक्त, इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी विशेषज्ञ या वृत्तिक द्वारा समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन आयोग द्वारा नियुक्ति की समाप्ति और ऐसे विशेषज्ञ या वृत्तिक को भविष्य में काम करने से रोकने के लिए पर्याप्त आधार माना जाएगा।

(4) विशेषज्ञ और वृत्तिक, योग्य मामलों में, उनकी लापरवाही या दुर्व्यवहार के कारण आयोग को हुई क्षति, यदि कोई हो, को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(5) संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद, आयोग अनुबंध के दौरान समझौते के भीतर शर्तों को संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि निधि की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है।

11. **शिथिल करने की शक्ति-** आयोग इन विनियमों में प्रदान की गई किसी भी शर्त में छूट दे सकता है, जैसा कि इसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझा जा सकता है।

अनुसूची

(विनियम 5 और 10 देखें)

क्र.सं.	विशेषज्ञ और वृत्तिक का वर्ग	योग्यता	अनुभव
1.	भारतीय चिकित्सा पद्धति	डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (आयुर्वेद), शल्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर (आयुर्वेद), डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (सिद्ध या यूनानी), सोवा-रिग्पा में स्नातक या समकक्ष	भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा) विशेषज्ञ जिसके पास शिक्षण या अस्पताल या सार्वजनिक स्वास्थ्य या अनुसंधान या प्रशासन में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव है।
2.	चिकित्सा की आधुनिक पद्धति (एलोपैथिक)	चिकित्सा स्नातक और शल्य चिकित्सा स्नातक, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और शल्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर	शिक्षण या अस्पताल या सार्वजनिक स्वास्थ्य या अनुसंधान या प्रशासन में न्यूनतम 05 वर्ष के अनुभव के साथ चिकित्सा विशेषज्ञ की आधुनिक पद्धति।

3.	विधि	अनिवार्य योग्यता: (i) विधि स्नातकोत्तर उपाधि या विधि स्नातक उपाधि या भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समकक्ष, जिसे भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अनुसार भारत के किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्य। वांछनीय योग्यता: प्रतिस्पर्धा विधि या नियामक कानूनों या बौद्धिक संपदा अधिकारों या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानूनों से संबंधित कानूनों में विशेषज्ञता के साथ उच्च योग्यता।	(i) उम्मीदवार अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अनुसार एक पंजीकृत विधि वृत्तिक होगा; तथा (ii) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय, सरकार या नियामक प्राधिकरण या न्यायालय में न्यायिक या विधि कार्य में 05 वर्ष का अनुभव, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या भारत के वृत्तिक संस्थान या विदेश के विधि के प्रोफेसर या पाठक या व्याख्याता के शिक्षण में विशेषज्ञता के साथ निगमित क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा विधि या विधि प्रबंधक या उससे ऊपर के शिक्षण में विशेषज्ञता के साथ अधिग्रहण, विलय और समामेलन और प्रतिस्पर्धा विधि के अंतर्गत इस प्रकार के अनुभव वाले क्षेत्र।
4.	विज्ञान	भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या विदेशों से दोष-रहित या अनुप्रयुक्त विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।	तकनीकी और वैज्ञानिक गतिविधियों में शामिल प्रमुख सरकारी संगठनों या निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के भीतर वरिष्ठ स्तर की भूमिकाओं में काम या वैकल्पिक रूप से, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या वृत्तिक संस्थान में विज्ञान में प्रोफेसर, रीडर या व्याख्याता के रूप में अनुभव हो।
5.	वित्त प्रबंधन और लेखा	चार्टर्ड एकाउंटेंट या लागत और प्रबंधन एकाउंटेंट या व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर या समकक्ष।	प्रासंगिक क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव और निधि प्रबंधन पर नीति निर्माण, लेखा परीक्षा, लेखा और वित्तीय योजना में अनुभव।

बी.एल. मेहरा, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./599/2023-24]

THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2023

F. No. Sec/NCISM/Regulations/2023-1—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the National Commission for Indian System of Medicine hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);

(b) "Expert or Professional" means a person of integrity and outstanding ability having special knowledge in Indian System of Medicine such as Ashtang Ayurved, Unani, Siddha and Sowa-Rigpa or public health, management, economics, accreditation, patient advocacy, health research, science and technology, administration, finance, accounts or law;

(c) "Secretary" means the Secretary appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 8 of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined in these regulations, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively, as assigned to them in the Act.

3. Engagement of Experts and Professionals.– (1) The Commission may engage such number of experts and professionals in the field as defined under clause (b) of sub regulation (1) of regulation 2 of these regulations for assisting the Commission and its Autonomous Boards in discharge of their functions.

(2) The Presidents of all Autonomous Boards and the Secretary of the Commission shall from time to time assess the requirement of experts and professionals and submit comprehensive proposal with due justification and estimated expenditure involved therein, to the Commission through the Chairperson.

(3) The Commission shall discuss and approve the proposals, as may be deemed fit.

(4) The Commission may reduce or enhance the number of proposed experts and professionals after due deliberation.

4. Function of experts and professionals.- The experts and professionals engaged by the Commission shall discharge such functions as mentioned in the letter of engagement issued by the Secretary of the Commission or such other functions as may be assigned by the Commission from time to time, as may be required.

5. Qualifications and experience of experts and professionals.– (1) The experts and professionals shall be engaged on the basis of their qualifications and experience in their respective fields of specialisation and the eminence in their profession as specified in the schedule annexed to these regulations.

6. Period of engagement of experts and professionals.- The period of engagement of experts and professionals shall be the following namely:-

(a) for administrative nature of duties, the initial period of engagement shall not be more than six months which may be extended every six months upto the maximum period of two years.

(b) for research and development of educational techniques in the System of Indian Medicines, the initial duration of engagement shall be not more than two years which may be extended every six months upto the maximum period of four years.

(c) experts and professionals of Information Technology, the period of engagement shall be three years: provided that, notwithstanding anything contained in the forgoing clauses, the term of any of the experts and professionals shall be extended by the Commission.

7. Remuneration payable to experts and professionals.– The remuneration payable to the experts and professionals shall be at such rates as may be determined and fixed by the Commission from time to time: provided that the Commission may for reasons to be recorded in writing, agree to pay higher remuneration to the experts and professionals, in exceptional cases in the interest of Commission or Autonomous Boards as the case may be with due justification.

8. Evaluation of performance.– The performance of each of the experts and professionals engaged under these regulations shall be reviewed from time to time at such intervals as may be determined by the Commission.

9. Method of selection of experts and professionals.– (1) A detailed advertisement for the requirement of the experts and professionals shall be published on the website of the Commission and it shall be given wide publicity for optimum participation of the candidates.

(2) The Secretary shall scrutinise the applications received from the candidates in accordance with these regulations and prepare a list of eligible candidates and submit a report thereof to the Commission.

(3) The Secretary shall notify the date and the venue for various stages of selection process viz. skill test, written examination and interview to the short listed eligible candidates well in advance.

(4) The Commission shall also constitute a selection board comprising eminent persons from various fields for assessment and selection of the experts and professionals.

(5) The recommendations of the selection board shall be placed before the Commission by the Secretary for approval.

(6) On approval of the engagement of experts and professionals by the Commission under sub-regulation (*5*), the Secretary shall inform each candidate in writing by a letter of offer of engagement giving not less than fifteen days time to accept the offer of engagement: provided that the Commission may relax the duration of fifteen days in exceptional cases upon request from any of the candidate duly recording reasons therefor.

(7) After receipt of acceptance from the selected candidate, the Secretary shall issue letter of engagement to each candidate giving not less than ten days time to join: provided that the joining time may be extended by the Secretary on being satisfied that extension sought for is beyond the control of the candidate as selected.

(8) The Secretary shall prepare a list of all engaged experts and professionals and place the same before the commission in its next meeting.

10. Terms and condition of engagement of experts and professionals.– (1) The terms and conditions including requisite experience, qualification and age and the like shall be as specified in the Schedule to these regulations.

(2) The expert and professionals on accepting the offer of engagement shall submit an undertaking to the Secretary of maintaining confidentiality and of handing over all equipment, records and information maintained by them in any form whatsoever to the Secretary forthwith on their resignation or termination of engagement.

(3) Without prejudice and in addition to the legal remedies available to the Commission, breach of any of the terms and conditions of agreement by any expert or professionals under these regulations shall be considered a sufficient ground for termination of the engagement and further debarment of such expert or professional from future engagement by the Commission.

(4) The experts and professionals shall also in deserving cases, be liable to make good the loss caused, if any, to the Commission due to their negligence or misdeed.

(5) The Commission may add or delete such conditions in the term of agreement during the currency of the engagement, as deemed necessary for the safeguard of the exchequer, after duly providing opportunity of being heard to them.

11. Power to relax.– The Commission may relax any of the conditions provided in these regulations, as may be deemed necessary for discharge of its functions.

SCHEDULE

(See regulations 5 and 10)

Sl. No.	Class of expert and professional	Qualifications	Experience
1.	Indian Medicine System	Doctor of Medicine (Ayurveda), Master in Surgery (Ayurveda), Doctor of Medicine (Siddha or Unani), Bachelor or equivalent in Sowa-Rigpa.	Indian System of Medicine (Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa) expert with minimum five years of experience in teaching or in hospital or public health or research or administration.
2.	Modern System of Medicine (Allopathic)	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, Doctor of Medicine and Master in Surgery.	Modern System of Medicine expert with minimum five years of experience in teaching or in hospital or public health or research or administration.
3.	Law	Essential Qualification: (i) Master degree in Laws or Bachelor degree in Laws or equivalent from any recognised University or Institute in India or abroad, recognised by the Bar Council of India.	(1) the candidate shall be a registered legal practitioner in terms of the Advocates Act, 1961(25 of 1961); and (ii) five years experience in judicial or legal work in the Supreme Court, High Court or any other Court, Government or a Regulatory Authority or a Tribunal, or Professor or Reader or

		(ii) Qualified to be registered as an advocate in any State Bar Council of India in terms of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961). Desirable Qualification: Higher qualification with specialisation in competition law or regulatory laws or laws relating to Intellectual Property Rights or International Trade Laws.	Lecturer of Law of any recognized University or professional Institute of India or abroad with specialisation in teaching of competition law or Legal Manager or above in the corporate sector having experience of handling acquisitions, mergers and amalgamations and the like under competition law.
4.	Sciences	Post graduate degree in pure or applied sciences from any recognised University of India or abroad.	Worked at senior level positions in large Government Organisations or in private sector establishment dealing with technical and scientific activities or Professor or Reader or Lecturer of sciences in any recognised University or professional Institute of India.
5.	Finance Management and Accounts.	Chartered Accountant or Cost and Management Accountant or Master in Business Administration or Master in Economics or Master in Statistics or equivalent.	Five years experience in the relevant field and having experience in policy making, auditing, accounting and financial planning on funds management.

B.L MEHRA, Secy. In-charge,

[ADVT.-III/4/Exty./599/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.12.07 20:09:31 +05'30'